

2 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी
द्वारा अतिम अपील दिये जाने से उपरान्त के P/F नोटिस
प्रस्तुत नहीं किये तथा पुनः अपील चालू की व्यवस्था।
दिया जाता है। पत्रावली प्रार्थना पत्र अध्याय 22 प्रकृति
की सि. सी. पी. की प्रावधानानुसार P/F नोटिस से अग्रिम
में खारिज दिया जाता है। पत्रावली केवल शुमार के
नम्बर के समर्थन

सहायक जज
शिवगंज (दिल्ली)

